

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-8/2018/1142/24-पी-2-18-1(121)/04
लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2018
अधिसूचना
आदेश

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिये 1- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2- उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3- उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी, केस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ 7- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी 8- पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9- दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,

ह०

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या-8/2018/1142 (1)/ 24-पी-2-18-1(121)/04, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.07.2018 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

ह०

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या-8/2018/1142 (2)/ 24-पी-2-18-1(121)/04, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- सूचना निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
- 8- विधायी अनुभाग-1
- 9- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी (केस्को), कानपुर।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- 13- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- 14- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 15- गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

ह०

(एस०पी० सिंह)

संयुक्त सचिव

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2037-औसं/2018-159-ए/67

दिनांक 17 जुलाई, 2018

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग के निजी सचिव।
- 5- अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा, केस्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13-कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14-समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कारपोरेशन मुख्यालय), एवं लेखा शाखा, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 15-अधिशाली अभियन्ता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16- कट फाइल।

Nat Mathur
17.7.18

(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्या:-2037-(1)-औसं/2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी